डिक्री व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 70/2015 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2015/00291
उनवानी :–

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र महेश दारा जाति ब्राहम्ण निवासी जुरहरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर । .....अपीलांट।

बनाम

1. मन्दिर मूर्ति श्री चतुर्भुज जी महाराज करवा जुरहरा जरिये
   रान्नूराम पुत्र लीलाराम जाति माली
   हरि पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहम्ण
   } निवासी जुरहरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।
   .....वादी रैस्पो0

2. तहसीलदार कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर
   .....प्रतिवादी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2015 प्रकरण संख्या 97/2010 उनवान मन्दिर मूर्ति श्री चतुर्भुज जी बनाम बाबूलाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा ।

यह अपील .....11.....माह.....10.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री भूपत कुमार जैन एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट श्री पंकज कुमार एड. समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा के निर्णय दिनांक 26.05.2015 निरस्त किये जाकर, विवादित आराजी खसरा नम्बर 2137, 2138, 2139, 2140 वाके ग्राम जुरहरा तहसील कॉमा पर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुवलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुवलिग का.....अदा करें।
बसदा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....11.....माह.....10.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 70/2015 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2015/00291

उनवान

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र महेश दास जाति ब्राहम्ण निवासी जुरहरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मन्दिर मूर्ति श्री चतुर्भज जी महाराज कस्बा जुरहरा जरिये
   सन्नूराम पुत्र लीलाराम जाति माली } निवासी जुरहरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।
   हरि पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहम्ण }

.....वादी रैस्पो0

2. तहसीलदार कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादी रेस्पॉडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, कॉमा दिनांक 26.05.2015 उनवानी मन्दिर मूर्ति श्री चतुर्भुज जी बनाम बाबूलाल मु0न0 97/2010

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री भूपत कुमार जैन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 11.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के आदेश दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जुरहरा तहसील कॉमा में स्थित है, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि शुरु से ही मन्दिर मूर्ति श्री चतुर्भुज जी महाराज की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर मन्दिर श्री चतुर्भुज जी महाराज की ओर से काश्त की जाती है एवं उसकी आय से मन्दिर के भोगराज, रख रखाव, सेवा पूजा एवं मन्दिर प्रांगण की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जिसका दत्तक पुत्र प्रतिवादी अपीलाण्ट बाबूलाल है जो कि मन्दिर मूर्ति के हितार्थ कार्य ना करके राजस्व कर्मचारियों से साज करते हुये सम्पूर्ण सम्पूर्ण आराजी मुत० का दाखिल खारिज 2822 दिनांक 01.03.1997 को भरवाकर फैशल कराने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत जुरहरा के समक्ष पेश किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत जुरहरा द्वारा आराजी के बाबत् पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् प्रतिवादी अपीलाण्ट के नाम भरे दाखिल खारिज को खारिज करते हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग व तहसीलदार कॉका को विवादित आराजी को पुनः वापस मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने के लिये कार्यवाही करने का अनुमोदन किया। परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट ने प्रतिवादी तहसीलदार एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से साज करते हुये दिनांक 28.06.2008 को दाखिल खारिज नम्बर 2822 की पुश्त पर आराजी विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 2137, 2138, 2139, 2140 अपने नाम कतई गलत प्रकार से एवं खिलाफ कानून दर्ज करा लिया। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बरो को पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने एक नियमित वाद को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र जुरहरा पर सरसरी तौर पर निर्णित कर दावा वादी डिक्री किये जाने में कानूनी गलती की है। यदि नियमित वाद में अंकित अभिवचनो को जब प्रतिवादी अस्वीकार करता है तो दोनों पक्षो के अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम कर निर्णय तनकीवार किया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार से कोई साक्ष्य तलव नहीं किये गये एवं ना ही कोई बयान, गवाह अथवा जिरह का अवसर दिया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 भी लम्बित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प कोर्ट में मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर मूर्ति मंदिर के कब्जे काश्त अथवा खातेदारी की नहीं है। उक्त चारो खसरा नम्बर अपीलाण्ट के पिता श्री महेशदास की खातेदारी के हैं एवं उनके मरणोपरान्त अपीलाण्ट ने विरासत में प्राप्त किये हैं। उक्त चारो नम्बर जमाबन्दी संवत 2013 लगायत 2016 के खाता संख्या 228 में अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी में अंकित हैं। इस संबंध में तहसीलदार कॉमा का विस्तृत निर्णय दिनांक 28.06.2008 है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय में तहसीलदार कॉमा ने स्पष्ट किया है कि उक्त चारो खसरा नम्बर मूर्ति मन्दिर के नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के संबंध में न्यायिक नजीर आरआरडी 1956 पेज 105 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की आराज़ी है एवं मूर्ति मन्दिर, नाबालिग होती है, उसकी आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अपीलाण्ट विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहा था। कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर के निर्णय दिनांक 06.04.2021 से ट्रस्ट को खत्म करने का आदेश दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2137, 2138, 2139, 2140 पर जमाबन्दी सवंत 2013 से 2016 में महेशदास चेला रेवती दास कौम बैरागी सा देह न्यारान्यूर खातेदार दर्ज हैं। मूर्ति मन्दिर के नाम कोई खातेदारी दर्ज नहीं है। अपीलाण्ट स्वयं को उनका दत्तक पुत्र बताता है। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रतिवादी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया है। इसके अलावा तहसीलदार भू0अ0 कॉमा के निर्णय दिनांक 28.06.2008 भी अपीलाण्ट के कथनो की पुष्टि करते हैं। ग्राम पंचायत जुरहरा द्वारा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरो को मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में होने बाबत् सभी कार्यवाहियॉ अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर तक खारिज हो चुकी हैं। तहसीलदार ने अपने निर्णय मे स्पष्ट किया है कि रैफरेन्स निर्णय दिनांक 07.03.2006 की पालना में नामान्तकरण संख्या 2822 में दर्ज आराजी में से खसरा नम्बर 2137, 2138, 2139, 2140 जो कि मृतक राजदुलारी की खातेदारी की थी को छोडकर शेष आराजी मन्दिर मूर्ति श्री चतुर्भज श्री महाराज के नाम दर्ज की गयी। तत्पश्चात् बाबूलाल ने न्यायालय तहसीलदार के समक्ष स्वयं को राजदुलारी वेवा महेश दास का दत्तक पुत्र होना बताते हुये, विवादित आराजी का विरासतन दाखिल खारिज करने का निवेदन किया। तहसीलदार द्वारा गवाह/बयान आदि लेकर बाबूलाल को दत्तक पुत्र होने के तथ्य को सही पाये जाने एवं विवादित आराजी पर उनका ही कब्जा काश्त माना जाकर एवं ग्राम पंचायत का सार्वजनिक हित पूरा होने के कारण मृतक राजदुलारी की खातेदारी की भूमि पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में ना रखते हुये, नियमित वाद को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र जुरहरा पर सरसरी तौर पर निर्णित करने में कानूनी गलती की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2008 में विवादित आराजी बाबत् विस्तार से विवेचना की जाकर विवादित आराजी को मूर्ति मन्दिर की नहीं होना माना है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.06.2008 के आलोक में हम अपील अपीलांट स्वीकार योग्य समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा के निर्णय दिनांक 26.05.2015 निरस्त किये जाकर, विवादित आराजी खसरा नम्बर 2137, 2138, 2139, 2140 वाके ग्राम जुरहरा तहसील कॉमा पर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

11-10-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर